

General FAQs

1. What do you mean by Central Sector Scheme?

Ans. A Central Sector Scheme (CSS) is a development program funded and implemented by the Central Government. Currently, NMPB is implementing Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants, initially approved by the cabinet vide no. CCEA/21/2008 Dated 26-06-2008.

2. Which type of Projects can we submit through Central Sector Scheme?

Ans. Various types of Projects can be submitted under this scheme, which includes Ex-Situ, In-Situ Conservation, Joint Forest Management & Resource Augmentation, Research & Development, Capacity Building, Herbal Gardens, Marketing, supply chain and other interventions etc related to the Medicinal Plants Sector, Stakeholders may visit the CSS guideline for core areas under the various component and the guideline is available on the website of NMPB (www.nmpb.nic.in).

3. What is the procedure to get the Grant-in-Aid under "Central Sector Scheme on Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants"?

Ans. There are two stages for the approval of Project proposals namely Project Screening Committee (PSC) & Project Approval Committee (PAC).

4. What is the role of Project Screening Committee (PSC)?

Ans. Project Screening Committee (PSC) is the committee which evaluates the projects technically at the initial stage. The PSC may occur from time to time throughout the year. The Project Proposals reviewed & recommended by the PSC are placed before the Project Approval Committee for final approval.

5. What is the role of Project Approval Committee (PAC)?

Ans. Projects recommended by Project Screening Committee (PSC) are placed before Project Approval Committee for consideration and financial approval for release of grants.

6. To whom we should contact for preparing / applying a proposal?

Ans. Initial information for preparing a proposal can be obtained from State Medicinal Plants Board/ Regional cum facilitation Centre (RCFC), which is available in each State/Region. The detailed address of SMPB/RCFC are available at website of NMPB. (www.nmpb.nic.in/)

7. When can I submit the proposal?

Ans. The proposal can be submitted throughout the year.

8. Where can I get complete information about creating and submitting a project proposal?

Ans. Basic information about preparing and submitting a proposal through the **Central Sector Scheme on Conservation Development and Sustainable Management of Medicinal Plants**, which is available at the website of NMPB.

9. What is the procedure for submission of new project proposal?

Ans. Online Proposal may be submitted through Ayush NGO Portal (<http://ngo.ayush.gov.in/>).

10. How to check the updated status of proposal? (Accepted or rejected etc.)

Ans. Go to Dashboard on Ayush NGO Portal → Submitted Forms/Reports/ Application No and check the status.

11. I am not able to submit my Proposal?

Ans. Make sure all mandatory fields are filled, avoid using special characters that may cause validation errors, check for missing attachments, refresh the page and try again.

12. What are the cost norms of projects submitted under Central Sector Scheme for Conservation Development & Sustainable Management of Medicinal Plants?

Ans. You can visit NMPB website for detailed cost norms component wise (<https://nmpb.nic.in/sites/default/files/COST%20NORMS.pdf>).

13. What should we do if the online portal (Ayush NGO portal) is not working?

Ans. In such a case, you can write your grievance to the Ayush Grid (Email:-ayush-grid@gov.in) with a copy to IT Desk of NMPB. If you still do not get any help from them, you can submit a proposal to the official email ID of NMPB (i.e.ceo-nmpb@nic.in) by attaching a screenshot of non-functioning of the online portal (Technical Issue).

14. What should be the qualification/experience of Project investigator and Co-project investigator and organization?

Ans. The project investigator and Co- project investigator should have experience in medicinal plants and Organization should have expertise and worked in medicinal plants activities and submit requisite information in annual report with photographs.

15. Are the Bio-data of the PI and Co-PI and communication address are mandatory or not?

Ans. Yes, it is mandatory to submit the bio-data of PI and Co-PI as well as complete communication address.

16. "I forgot my password. How can I recover or reset it?"

Ans. You can recover your password through the portal's "Forgot Login Details?" feature.

Steps:

1. Navigate to the [Ayush NGO portal login page]
2. Select the Forgot Login Details?
3. Enter your registered email address.
4. Follow the instructions sent to your email inbox to reset your password.

17. Facing problem in uploading the pdf file. What should I do?

Ans. The problem may be due to size of pdf file. Please ensure that the size of pdf file should be less than 10MB. In case of scanning the large volume of document, please scan at reduced resolution so that the file size remains small.

18. What are the mandatory documents required by NMPB for liquidation of Utilization Certificate (UC)?

Ans. The mandatory documents required by NMPB for liquidation of Utilization Certificate are:

- UC, SoE duly audited by Govt. Auditor / Chartered Accountant,
- Certificate of Non-Receipt of Funds, Detailed Year-wise Activity Report / Progress Report

19. Do reports need to be signed by a specific authority?

Ans. Yes, Progress Report must have proper signatures of PI / Concerned Authority with their name based Stamp.

20. What is the correct format for UC?

Ans. As per GFR 12 A is for Autonomous Bodies and 12 C for State Government.

21. What is the basic requirement of a UC settlement under NMPB scheme?

Ans. Organisations must submit:

- i. Utilisation Certificate in prescribed format.
- ii. Audited Statement of Accounts (SoE/Expenditure Sheet).
- iii. Certified details of physical progress.
- iv. Unspent balance refund, if any.
- v. Statement of interest earned on grant.
- vi. Certificate that expenditure is as per sanctioned items only.
- vii. Certificate for non-receiving of fund.
- viii. NMPB verifies financial + physical progress together before next instalment approval.

22. Can we modify the UC format?

Ans. No, UC must be strictly as per GFR standard format. Modifying format, changing heads or clubbing expenses is not allowed.

23. What are the most common mistakes in UC preparation?

Ans. Frequent errors observed:

- i. Head-wise figures in UC do not match Sanction Order/Approval.
- ii. Mismatch of Sanction order, Date of Sanction amount, Project name & Financial Year.

- iii. Expenses shown in UC but not supported with bills/vouchers.
- iv. Physical progress not matching financial utilisation.
- v. Interest not accounted for.
- vi. Utilisation exceeding the approved.
- vii. Organisation's seal or auditor's signature missing/Name of signing authority is missing.
- viii. Mismatch between Audited Statement and the UC.

24. Can the organisation shift funds from one component to another?

Ans. Not allowed unless have prior written approval. UC must reflect expenditure exactly as per sanctioned break-up.

25. How should unspent balance be handled?

Ans. Unspent balance must be refunded & the details must be shared with NMPB.

26. What supporting documents must accompany the UC?

Ans. Mandatory documents:

- i. UC GFR as per format, signed with signature and name based seal.
- ii. Audited Utilisation Statement/SoE
- iii. Signed Physical Progress Report (PPR)
- iv. Component-wise expenditure details.
- v. Bank statement of project account.
- vi. Interest calculation sheet.
- vii. Refund proof (if unspent amount exists)
- viii. GPS based photographs.

27. What date should be used for the UC period?

Ans. UC period should align with sanction period and date of release.

Example: If grant was released on 15th July, 2024 and project year ends on 31st March, 2025
→ UC must show utilisation only within this date range.

Showing expenditure before release date or after project end date is invalid.

28. Can expenditure exceed the grant?

Ans. No. UC must certify that:

- i. Expenditure does not exceed the grant
- ii. Expenditure does not exceed component-wise ceiling approved by NMPB.
- iii. Any excess expenditure is not reimbursable

29. Who should sign the UC?

Ans. The UC must be signed by

- i. Head of Organisation / Project Investigator
- ii. Chartered Accountant / Auditor (with registration no.)/Finance Officer
- iii. Organisation's seal and project-specific bank details
- iv. Unsigned or CA-seal-missing UCs are rejected.

30. Is it mandatory to open a separate bank account for the project?

Ans. Yes. As per scheme guidelines.

31. What happens if the UC is delayed?

Ans. Consequences:

- i. Next instalment will not be released
- ii. Project may be cancelled
- iii. Organisation may be blacklisted for future grants
- iv. Recovery proceedings for entire amount may be initiated as per existing guidelines/rules.

32. Can organisations include expenses not listed in the Approval?

Ans. No, only approved components/Sanction order are eligible for utilisation.

Section wise FAQs

Herbal Garden

1. What are the core activities supported in Herbal Garden?

Ans. Institutional Herbal Garden, School Herbal Garden, State/National Importance Herbal Garden, Nursery/QPM and Species-Specific Campaign.

2. What are the Eligibility criteria for Herbal Garden projects?

Ans.

a. Government Organizations, Universities, Research Institutes, Government Aided Colleges and Schools.

b. Non-government Organizations (NGOs), Public Sector Undertakings, Federations, Co-operatives

3. Where to submit a proposal for the Shatavari Campaign?

Ans. For Shatavari Campaign, you have to visit Ayush NGO portal and select sub component IEC and Training of Central Sector Scheme.

4. What type of documents are required to be attached in the project of Shatavari Campaign?

Ans. It is mandatory to attach the last 03 years certified Audit & Annual Report, Darpan Portal UID (in case of non-government organization and signed copy of biodata of PI & CO-PI.

5. Which documents need to be attached for school herbal gardens / Institutional Herbal Garden and State Importance Herbal Garden?

Ans. In this case we require mandatory documents of last three years audit and annual report, undertaking (in school's letter head in case of School Herbal Garden) signed by the principal of each school, UID of Darpan portal (in case of non-government organization) and signed copy of biodata of PI and CO-PI, land document and KML file (in case of Institutional and State Importance Herbal Garden), will have to be attached.

6. Any other documents required?

Ans. List of Medicinal Plants should be as per agro climatic zone.

Research & Development (R & D) section

7. What are the Core activities supported in R & D Section?

Ans. In order to promote R&D activities, National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush, under its Central Sector Scheme on 'Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants' provides project based financial support to carry out research activities on various aspects of medicinal plants to government as well as private universities/research institutions/organizations across the country only for:

- Development of agro techniques, standardization of nursery techniques etc.
- Documentation and development of geo tag digital library
- Finding out substitute and authentication of raw drugs
- Genotype Identification, genetic improvement, genome study and germplasm collection & conservation Intercropping and sustainable production technology
- In-vitro propagation studies, micro-propagation chemical & molecular profiling and phyto-chemicals evaluation
- Post-harvest Management, assessment of heavy metals and integrated pest management
- Bioactivity guided fractionation studies etc.
- Identification, characterization and conservation of medicinal plants Varietal development and prospect of marketing

Another important aspect of quality is the true botanical identity of the herb. To ensure proper identity, there is a need to establish multiple Raw Drug Repositories (RDRs) which can supply certified samples of Indian medicinal plants on cost basis, to act as Reference Standards.

For more details, PI may visit the CSS guideline for core areas under the R&D component and the guideline is available on the website of NMPB (www.nmpb.nic.in).

8. What are the Eligibility Criteria for R & D Proposals?

Ans. All well-established Government Non- Government organizations are eligible, their eligibility criteria are as under:

- R&D Institutions under CSIR, ICAR, ICFRE, ICMR, DBT, DST, Councils of Department of Ayush etc. Universities recognized by the UGC.
- Industry both in public as well as private sector with R&D facilities.
- Non-government Organizations/Voluntary Organizations, with demonstrated expertise and infrastructure (Agency must have an experience of at least 3 years and good track record in the related field evidenced by the earlier experience and achievements).

9. What are the criteria for the financial assistance for purchase of equipment/Instruments?

Ans. Under non-recurring head, financial assistance could be provided for only selected, essential and specialized items of equipment required for project works, for modification of existing structure so for undertaking petty works.

10. What is Good Agricultural and Collection Practice?

Ans. Good Agricultural and Collection Practices (GACP) are standardized guidelines designed to ensure the quality, safety, and sustainability of medicinal plants and other botanical raw materials. These practices support cultivators, collectors, traders, and the herbal industry in maintaining consistent standards throughout the entire production chain from field cultivation and wild collection to post-harvest handling and processing.

11. How do I identify and authenticate a medicinal plant?

Ans. A medicinal plant can be correctly identified and authenticated by observing its key morphological features-leaves, stem, flowers, fruits, smell, and overall habit and comparing them with pharmacopoeia descriptions. Using certified nurseries for planting material and keeping basic records of the source ensures proper traceability and meets GACP requirements for authentic medicinal plant material.

12. Any other documents required?

Ans. Details of other required documents are as under:

- A Cover/Consent Letter from the Director/Head of the Organization must be submitted.
- The brief summary of the relevant experience and expertise of the Principal Investigator (PI) and Co-Principal Investigators (Co-PIs) in relation to the proposed study, in order to substantiate and justify the candidature of the PI.
- Separate research design along with field layout etc should be submitted.

Conservation

13. What are the Core activities supported under Conservation?

Ans. Under Conservation component, core activities supported are as below:

1. Medicinal Plants Conservation and Development Areas (MPCDA),
2. In-situ resource augmentation
3. Support to JFMCs/Panchayats/Van Panchayats/BMCs/SHGs etc.

14. What are the Eligibility Criteria for Conservation Project Proposals?

Ans. The proposals are considered from the State Forest/Wild Life Department /Forest Development Corporation for submission project proposal under Medicinal Plants Conservation and Development Areas (MPCDAs) and Support to JFMCs/Panchayats/Van Panchayats/BMCs/SHGs etc. For In-situ / Ex-situ Resource Augmentation proposals are considered from State Forest/Wild Life Departments/Forest Development Corporation/ Public Sector Corporations/Federations/ Voluntary agencies/Non-Government Organizations.

15. Is permission of State Government required for implementation of the project?

Ans. Yes, permission of State Government is mandatory for implementation of the project for Conservation/Resource Augmentation and Support to JFMCs/BMCs.

16. Any other documents required?

Ans. Site-wise details with Geo co-ordinates / KML files of proposed area required for proposals consideration under Conservation/Resource Augmentation and Support to JFMCs/BMCs.

IEC

17. What are the Core IEC activities supported under the scheme guidelines?

Ans.

- Publicity through regular participation in Exhibitions/Fairs
- Aushadi Vanaspati Mitra Program (AVM)
- Organizing Workshops/Seminars/Conferences/Arogya Fair etc.
- Setting up of Facilitation Centres
- Medicinal Plant Species specific/ Campaigns
- Systematic use of Multimedia and other appropriate communication tools.
- Publication of Periodicals/Magazines and Newsletters
- Training and Capacity Building initiatives.

18. What are the Eligibility criteria for IEC Activities?

Ans. Participation in Fairs, exhibition /publicity material/Arogya Fair

NMPB, SMPB, Industry, R&D Institutions / Universities, Government Organizations including Govt. aided Institutions, Non-government Organizations / Voluntary organizations etc.

Organization for Workshops / Seminars / Conferences.

Central and State Government organizations.

- Recognized academic / Research / Educational institutions including Government Aided Colleges.
- Registered professional and other philanthropic organizations working on non-profit basis.
- Registered Non-Government Organizations (NGO) / Voluntary Organizations / Trusts with infrastructure and experience in the field of medicinal plants.

19. Any other documents required?

Ans. Prerequisites for organizing Workshops / Seminars / Conferences by Non-Government Organizations (NGO) / Voluntary Organizations / Trusts with infrastructure and experience in the field of medicinal plants.

- Registration of NGO in DAR PAN ID
- 3 years Audit report
- Certificate of Incorporation/Registration/MoU as applicable

20. Is NGO Darpan ID mandatory for NGOs/VOs/Trusts?

Ans. Yes

21. Is PAN number mandatory for applying for grant?

Ans. Yes

Institutional Strengthening

22. Where can we find the official contact details of SMPBs and RCFCs?

Ans. The detailed contact address, phone number and email etc. available in the website of National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush in NMPB outreach Tab.

23. What is role of SMPBs and RCFCs?

Ans. SMPBs (State Medicinal Plants Boards) is coordinating as well as implementing agency for various activities supported under NMPB at State Level and RCFCs (Regional Cum Facilitation Centres) is coordinating as well as implementing agency for various activities supported under NMPB at Regional Level.

24. Is NMPB providing any Training to the farmers for growing medicinal plants?

Ans. Yes, the NMPB through its Regional Cum Facilitation Centres (RCFCs) organize Training / workshop on Good Agricultural Practices (GAPs) / Good Field Collection Practices (GFCPs) of medicinal plants to grow medicinal plants.

25. Is NMPB encourage farmers to promote cultivation of medicinal plants?

Ans. Yes, NMPB through its Regional Cum Facilitation Centre established in the different regions of the country is providing Quality Planting Material (QPM) to the farmers / growers of medicinal plants to encourage them to take up cultivation of medicinal plants in the concerned state.

26. What information the PI must include in activity report?

Ans. The PI must include the following information in activity report:

- GPS location, Colour Photographs of activity carried
- Name and details of place/event
- Date
- Authorized signature with name based stamp

27. Are Implementing Agency required to acknowledge NMPB in all publications?

Ans. Yes, all Printed / Digital IEC Material, Publication, books etc. must acknowledge “National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush” where grant is released.

MPBC

28. What is MPBC Guideline?

Ans. MPBC Guidelines are the official operational framework issued by the National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush for establishing Medicinal Plants Business Centres (Central and Peripheral). They define the objectives, eligibility criteria, financial assistance, project components, implementation schedule, documentation, release of grants, monitoring, and compliance requirements for creating post-harvest, processing, storage, and marketing infrastructure for medicinal plants.

29. Who is eligible to apply?

Ans. Eligible organizations include:

- Central/State Government bodies, SMPBs, PSUs, R&D institutes
- Cooperatives, FPOs, FPCs, NGOs
- Proprietorship firms, Partnerships, Companies
- Traders, Enterprises, and Clusters engaged in the medicinal plants sector

30. How many MPBC may be created under One Proposal?

Ans. Each approved project must include:

1 Central MPBC, and 4 Peripheral MPBCs

Thus, a total of 5 MPBC units may be created under one proposal, aligning with the maximum grant (₹5.0 Crore).

31. Is there any minimum turnover requirement prescribed for applicant organization?

Ans. The guidelines do not prescribe any minimum turnover requirement for applicants. Eligibility is based on organizational type, land availability, equity infusion, and bank appraisal.

32. Whether Agricultural land is acceptable, or only non Agri land is preferred?

Ans. Agricultural land is acceptable, provided that the applicant obtains Change of Land Use (CLU) permission from the competent authority. The guidelines require:

- Ownership/30-year lease,
- Proper CLU (wherever applicable). Non-agricultural land is not mandatory

33. Are proprietorship firms registered under MSME/UDYAM also eligible, or is the scheme only applicable to partnership firms and private limited companies?

Ans. Yes, proprietorship firms registered under MSME/UDYAM are eligible. The guidelines explicitly include:

- Proprietorship firms,
- Cooperatives,
- Companies,
- FPOs/FPCs,
- NGOs, Traders, Enterprises, etc.
- Thus, the scheme is **not restricted** to partnerships or private limited companies.

34. What documents are required?

Ans. Key documents include:

- DPR (as per Appendix-II)
- Land ownership/30-year lease deed
- CLU permission
- Bank appraisal report and term loan sanction
- Financial statements, PAN, registrations
- CA certificates, CE certificates, undertakings
- Pollution control clearances
- Mandate form and bank account details
- KML Files

Marketing & IT

35. What are the Core activities supported in Marketing & IT?

Ans.

- Promotion and information dissemination through IT dedicated mechanisms for procurement of MAPs.
- Networked Agri Mandis for MAPs
- Database of Cultivators
- Contract Extractions (PHM)
- Speciality Warehousing & Supply Chain development
- Integration of AI Portals with techno commercial information
- Creating an on line MAPs Trade Exchange
- Integration with Krishak Call Centers, KVKS etc.

36. What are the Eligibility criteria for Marketing and IT Projects?

Ans. Government and Non-Government organizations, SHG, Private Organizations

37. Which type of Project can be submitted through Marketing and IT?

Ans.

- Documenting trade practices.
- Generating information on wholesale prices, arrivals and trends in different markets to benefit both growers and buyers.
- Establishing communication network for speedy collection and dissemination of market data for its efficient and timely utilization.
- Preparing farmer's advisories and issuing the same for the Benefit of farmers towards optimizing returns.
- Developing Databases of Cultivators and Cultivars.
- Integrating and mainstreaming of Medicinal Plants through call centres including Kisan call centres initiatives of Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare.
- Putting in place an appropriate pricing regime in respect of produce sourced from wild v/s cultivation in favour of cultivated material so as to encourage cultivation and reduce pressure on the natural resources.
- Streamlining of HS Codes.

38. How can I know the current market price of Medicinal Plants?

Ans. To provide a platform for trade of Medicinal Plants & to provide easy market access National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush has launched “e-CHARAK” mobile application as well as web portal for the promotion and marketing of medicinal plants/herbs. “e-CHARAK” is a platform to enable information exchange between various stakeholders mainly farmers involved in the medicinal plants sector across the country. The “e-CHARAK” application is available in different local languages. Fortnightly market price of 100 MPs from 25 herbal markets across India is updated regularly on e-Charak platform.

Integrated Component

39. What is an Integrated Component?

Ans. Integrated Component is end to end approach in supply chain of management of medicinal having infrastructure for Quality Plant Materials, post-harvest management, processing, and value addition and marketing along with support for Information Education Communication (IEC) activities and Quality Testing & Certification.

40. Which documents are required for the Integrated for the project?

Ans. KML file for infrastructure, Architectural layout, Google map location (GPS), undertaking for non- diversion of land regarding the infrastructure activities, list of beneficiaries, list of equipment's.

41. Who can apply under the integrated component?

Ans. The Government organizations will be eligible for 100% Grant in aid and Private organizations (having minimum of 5 years' experience working in Medicinal plants sector) will be eligible for 50% Grant-in aid.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब है?

उत्तर: सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे केंद्र सरकार फंड करती है और लागू करती है। अभी, NMPB औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लागू कर रहा है, जिसे शुरू में कैबिनेट ने नंबर CCEA/21/2008 तारीख 26-06-2008 के तहत मंजूरी दी थी।

2. हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किस तरह के प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं?

उत्तर: इस स्कीम के तहत कई तरह के प्रोजेक्ट सबमिट किए जा सकते हैं, जिसमें एक्स-सीटू, इन-सीटू संरक्षण, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स ऑर्गेनेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हर्बल गार्डन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और औषधीय पौधों के सेक्टर से जुड़े अन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। स्टेकहोल्डर विभिन्न कंपोनेंट के तहत मुख्य क्षेत्रों के लिए CSS गाइडलाइन देख सकते हैं और गाइडलाइन NMPB की वेबसाइट (www.nmpb.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

3. "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम" के तहत ग्रांट-इन-एड पाने का क्या तरीका है?

उत्तर: प्रोजेक्ट प्रस्तावों की मंजूरी के लिए दो स्टेज हैं, जिनके नाम हैं प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) और प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC)।

4. प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) की क्या भूमिका है?

उत्तर: प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) वह कमेटी है जो शुरुआती स्टेज में प्रोजेक्ट्स का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करती है। PSC पूरे साल समय-समय पर हो सकती है। PSC द्वारा रिव्यू और रिकमेंड किए गए प्रोजेक्ट प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के सामने रखा जाता है।

5. प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की क्या भूमिका है?

उत्तर: प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा रिकमेंड किए गए प्रोजेक्ट्स को विचार और ग्रांट जारी करने के लिए वित्तीय मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के सामने रखा जाता है।

6. प्रस्ताव तैयार करने/अप्लाई करने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर: प्रस्ताव तैयार करने के लिए शुरुआती जानकारी स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड/रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर (RCFC) से मिल सकती है, जो हर राज्य/क्षेत्र में उपलब्ध है। SMPB/RCFC का पूरा पता NMPB की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.nmpb.nic.in/)

7. मैं प्रस्ताव कब सबमिट कर सकता हूँ?

उत्तर: प्रस्ताव पूरे साल सबमिट किया जा सकता है।

8. प्रोजेक्ट प्रस्ताव बनाने और सबमिट करने के बारे में पूरी जानकारी मुझे कहाँ से मिल सकती है?

उत्तर: औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने और जमा करने के बारे में बेसिक जानकारी NMPB की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9. नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: ऑनलाइन प्रस्ताव आयुष एनजीओ पोर्टल (<http://ngo.ayush.gov.in/>) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

10. प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति (स्वीकृत या अस्वीकृत आदि) की जाँच कैसे करें?

उत्तर: आयुष एनजीओ पोर्टल पर डैशबोर्ड पर जाएं। आवेदन संख्या दर्ज करें और स्थिति जांचें। जमा किए गए फॉर्म/रिपोर्ट देखें।

11. मैं अपना प्रस्ताव जमा नहीं कर पा रहा/रही हूँ?

उत्तर: सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़िल्ड भरे हुए हैं, सत्यापन त्रुटियों का कारण बन सकने वाले विशेष वर्णों का उपयोग करने से बचें, अनुलग्नकों की अनुपस्थिति की जाँच करें, पृष्ठ को रीफ्रेश करें और पुनः प्रयास करें।

12. औषधीय पौधों के संरक्षण विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए लागत मानदंड क्या हैं?

उत्तर: आप घटकवार विस्तृत लागत मानदंडों के लिए एनएमपीबी वेबसाइट पर जा सकते हैं।

(<https://nmpb.nic.in/sites/default/files/COST%20NORMS.pdf>).

13. अगर ऑनलाइन पोर्टल (आयुष एनजीओ पोर्टल) काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर: ऐसी स्थिति में, आप आयुष गिड (ईमेल:-ayush-grid@gov.in) को अपनी शिकायत लिखकर एनएमपीएफ के आईटी डेस्क को एक प्रति भेज सकते हैं। यदि फिर भी आपको उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है, तो आप एनएमपीएफ के आधिकारिक ईमेल आईडी (यानी, ceo-nmpb@nic.in) पर ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने का स्क्रीनशॉट संलग्न करके एक प्रस्ताव भेज सकते हैं (तकनीकी समस्या)।

14. परियोजना अन्वेषक, सह-परियोजना अन्वेषक और संगठन की योग्यता/अनुभव क्या होना चाहिए?

उत्तर: परियोजना अन्वेषक और सह-परियोजना अन्वेषक को औषधीय पौधों का अनुभव होना चाहिए और संगठन को औषधीय पौधों से संबंधित गतिविधियों में विशेषज्ञता और कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा वार्षिक रिपोर्ट में तस्वीरों सहित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए।

15. क्या पीएल और को-पीएल का बायोडेटा और संचार पता अनिवार्य है या नहीं?

उत्तर: जी हां, पीएल और को-पीएल दोनों का बायोडाटा और साथ ही पूरा संचार पता जमा करना अनिवार्य है।

16. "मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। मैं इसे कैसे रिकवर या रीसेट कर सकता हूँ?"

उत्तर: आप पोर्टल के "लॉगिन विवरण भूल गए?" फीचर के माध्यम से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं।

कदम:

1. [आयुष एनजीओ पोर्टल लॉगिन पेज] पर जाएं
2. "लॉगिन विवरण भूल गए?" विकल्प चुनें।
3. अपना पंजीकृत ईमेल पता दर्ज करें।
4. अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपने ईमेल इनबॉक्स में भेजे गए निर्देशों का पालन करें।

17. पीडीएफ फाइल अपलोड करने में समस्या आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: समस्या पीडीएफ फाइल के आकार के कारण हो सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि पीडीएफ फाइल का आकार 10MB से कम हो। यदि आप बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ स्कैन कर रहे हैं, तो कृपया कम रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें ताकि फाइल का आकार छोटा रहे।

18. उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के परिसमापन के लिए एनएमपीबी द्वारा कौन से अनिवार्य दस्तावेज़ मांगे जाते हैं?

उत्तर: एनएमपीबी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के परिसमापन के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

- यूसी, एसओई का विधिवत ऑडिट सरकारी लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया हो।
- निधि प्राप्ति न होने का प्रमाण पत्र, वर्षवार विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट

19. क्या रिपोर्ट पर किसी विशिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?

उत्तर: जी हाँ, प्रगति रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी/निहितार्थ प्राधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर और उनके नाम की मुहर होनी चाहिए।

20. यूसी का सही प्रारूप क्या है?

उत्तर: जीएफआर के अनुसार 12 ए स्वायत्त निकायों के लिए है और 12 सी राज्य सरकार के लिए है।

21. एनएमपीबी योजना के अंतर्गत यूसी बस्ती की मूल आवश्यकता क्या है?

उत्तर: संगठनों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

- i. निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र।
- ii. लेखापरीक्षित लेखा विवरण (व्यय विवरण/खर्च पत्रक)।
- iii. भौतिक प्रगति का प्रमाणित विवरण।
- iv. यदि कोई अप्रयुक्त राशि हो तो उसकी वापसी।
- v. अनुदान पर अर्जित ब्याज का विवरण।
- vi. यह प्रमाणित करना कि व्यय केवल स्वीकृत मर्दों के अनुसार ही किया गया है।
- vii. निधि प्राप्त न होने का प्रमाण पत्र।
- viii. एनएमपीबी अगली किस्त की मंजूरी से पहले वित्तीय और वास्तविक प्रगति दोनों की एक साथ पुष्टि करता है।

22. क्या हम यूसी प्रारूप को संशोधित कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, यूसी को जीएफआर के मानक प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। प्रारूप में बदलाव करना, मर्दों को बदलना या खर्चों को आपस में मिलाने की अनुमतिनहीं है।

23. यूसी की तैयारी में सबसे आम गलतियाँ क्या हैं?

उत्तर: अक्सर देखी जाने वाली विसंगतिया

- i. यूसी में प्रति व्यक्ति आंकड़े स्वीकृति आदेश/अनुमोदन से मेल नहीं खाते हैं।
- ii. स्वीकृति आदेश, स्वीकृति राशि की तिथि, परियोजना का नाम और वित्तीय वर्ष का मिलान न होना।
- iii. यूसी में दर्शाए गए खर्च लेकिन बिल/वाउचर द्वारा समर्थित नहीं।
- iv. वास्तविक प्रगति का वित्तीय उपयोग से मेल न खाना।
- v. ब्याज का हिसाब नहीं रखा गया।
- vi. अनुमोदित सीमा से अधिक उपयोग।
- vii. संगठन की मुहर या लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर अनुपस्थित हैं/हस्ताक्षरकर्ता का नाम अनुपस्थित है।
- viii. ऑडिट किए गए विवरण और ऑडिट रिपोर्ट के बीच मेल ना होना।

24. क्या संगठन एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि स्थानांतरित कर सकता है?

उत्तर: पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुमति नहीं है। यूसी में व्यय का विवरण स्वीकृत विवरण के अनुसार ही होना चाहिए।

25. अप्रयुक्त शेष राशि का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए?

उत्तर: अप्रयुक्त राशि वापस की जानी चाहिए और इसका विवरण एनएमपीबी के साथ साझा किया जाना चाहिए।

26. यूसी के साथ कौन से सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे?

उत्तर: अनिवार्य दस्तावेजः

- i. यूसी जीएफआर निर्धारित प्रारूप के अनुसार, हस्ताक्षर और नाम आधारित मुहर के साथ हस्ताक्षरित।
- ii. लेखापरीक्षित उपयोग विवरण/एसओई
- iii. हस्ताक्षरित भौतिक प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर)
- iv. घटकवार व्यय विवरण।
- v. परियोजना खाते का बैंक विवरण।
- vi. ब्याज गणना पत्रक।
- vii. वापसी का प्रमाण (यदि अप्रयुक्त राशि मौजूद हो)
- viii. जीपीएस आधारित तस्वीरें।

27. यूसी अवधि के लिए किस तिथि का उपयोग किया जाना चाहिए?

उत्तर: यूसी अवधि, प्रतिबंध अवधि और की तारीख के अनुरूप होनी चाहिए।

उदाहरण: यदि अनुदान 15 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था और परियोजना वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होता है, तो यूसी को केवल इसी तिथि सीमा के भीतर उपयोग दिखाना होगा।

रिलीज की तारीख से पहले या परियोजना की समाप्ति तिथि के बाद व्यय दिखाना अमान्य है।

28. क्या व्यय अनुदान से अधिक हो सकता है?

उत्तर: नहीं, यूसी को यह प्रमाणित करना होगा कि:

- i. व्यय अनुदान से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ii. व्यय एनएमपीपी द्वारा अनुमोदित घटक-वार सीमा से अधिक नहीं होगा।
- iii. किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

29. यूसी पर किसे हस्ताक्षर करने चाहिए?

उत्तर: यूसी पर हस्ताक्षर होने चाहिए

- i. संगठन प्रमुख / परियोजना अन्वेषक
- ii. चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर (पंजीकरण संख्या सहित)/वित्त अधिकारी
- iii. संगठन की मुहर और परियोजना-विशिष्ट बैंक विवरण
- iv. बिना हस्ताक्षर वाले या सीए-सील के बिना यूसी (अध्ययन पत्र) अस्वीकृत कर दिए जाते हैं।

30. क्या परियोजना के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?

उत्तर: जी हाँ, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार।

31. यदि यूसी में देरी हो जाए तो क्या होगा?

उत्तर: परिणामः

- i. अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी
- ii. परियोजना रद्द की जा सकती है
- iii. संगठन को भविष्य में अनुदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- iv. मौजूदा दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार पूरी राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

32. क्या संगठन अनुमोदन में सूचीबद्ध न किए गए खर्चों को शामिल कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, केवल अनुमोदित घटक/स्वीकृति आदेश ही उपयोग के लिए पात्र हैं।

अनुभागवार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर्बल गार्डन

1. हर्बल गार्डन में किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?

उत्तर: संस्थागत हर्बल गार्डन, स्कूल हर्बल गार्डन, राज्य/राष्ट्रीय महत्व का हर्बल गार्डन, नर्सरी/क्यूपीएम और प्रजाति-विशिष्ट अभियान

2. हर्बल गार्डन परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर:

क. सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और विद्यालय।

ख. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संघ, सहकारी समितियाँ

3. शतावरी अभियान के लिए प्रस्ताव कहां जमा करें?

उत्तर: शतावरी अभियान के लिए, आपको आयुष एनजीओ पोर्टल पर जाना होगा और केंद्रीय क्षेत्र योजना के उप-घटक आईईसी और प्रशिक्षण का चयन करना होगा।

4. शतावरी अभियान की परियोजना में किस प्रकार के दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है?

उत्तर: पिछले 3 वर्षों की प्रमाणित लेखापरीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट, दर्पण पोर्टल यूआईडी (गैर-सरकारी संगठन के मामले में) और मुख्य व्यक्ति एवं सह-मुख्य व्यक्ति के बायोडाटा की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5. स्कूल हर्बल गार्डन / संस्थागत हर्बल गार्डन और राज्य महत्व के हर्बल गार्डन के लिए कौन से दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे?

उत्तर: इस मामले में हमें पिछले तीन वर्षों के ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट के अनिवार्य दस्तावेज, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र (विद्यालय हर्बल गार्डन के मामले में विद्यालय के लेटरहेड पर), दर्पण पोर्टल का यूआईडी (गैर-सरकारी संगठन के मामले में), मुख्य व्यक्ति और सह-मुख्य व्यक्ति के बायोडाटा की हस्ताक्षरित प्रति, भूमि दस्तावेज और केएमएल फाइल (संस्थागत और राज्य महत्व के हर्बल गार्डन के मामले में) संलग्न करने होंगे।

6. क्या कोई अन्य दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर: औषधीय पौधों की सूची कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) अनुभाग

7. अनुसंधान एवं विकास अनुभाग में किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?

उत्तर: अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) अपनी 'औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों के लिये ही परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

- कृषि तकनीकों का विकास, नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण आदि।
- जियो टैग डिजिटल लाइब्रेरी का प्रलेखन और विकास
- कच्चे औषधियों के विकल्प का पता लगाना और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना
- जीनोटाइप पहचान, आनुवंशिक सुधार, जीनोम अध्ययन और जर्मप्लाज्म संग्रह एवं संरक्षण, अंतरफसल और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी
- इन-विट्रो प्रवर्धन अध्ययन, सूक्ष्म प्रवर्धन रासायनिक एवं आणविक प्रोफाइलिंग और पादप रसायनों का मूल्यांकन
- फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, भारी धातुओं का आकलन और एकीकृत कीट प्रबंधन
- जैव सक्रियता निर्देशित अंशशोधन अध्ययन आदि।
- औषधीय पौधों की पहचान, लक्षण वर्णन और संरक्षण; किस्मों का विकास और विपणन की संभावनाएँ

गुणवत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जड़ी-बूटी की सही वानस्पतिक पहचान है। उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कई कच्चे औषधि भंडार (आरडीआर) स्थापित करने की आवश्यकता है जो संदर्भ मानकों के रूप में कार्य करने के लिए लागत के आधार पर भारतीय औषधीय पौधों के प्रमाणित नमूने उपलब्ध करा सकें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया RAD घटक के अंतर्गत मुख्य क्षेत्रों के लिए CSS दिशानिर्देश देखें, जो NMPB की वेबसाइट (www.nmpb.nic.in) पर उपलब्ध है।

8. अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: सभी सुस्थापित सरकारी और गैर-सरकारी संगठन पात्र हैं; उनकी पात्रता मानदंड निम्नानुसार है।

- सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएफआरई, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी के अधीन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आयुष विभाग की परिषदें आदि। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योग जिनमें अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं मौजूद हैं

- गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन, जिनके पास सिद्ध विशेषज्ञता और अवसंरचना हो (एजेंसी के पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में पूर्व अनुभव और उपलब्धियों द्वारा प्रमाणित अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए)।

9. उपकरण/यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के मानदंड क्या हैं?

उत्तर: आवर्ती मद के अंतर्गत, परियोजना कार्यों के लिए आवश्यक चुनिंदा, आवश्यक और विशेषीकृत उपकरणों, मौजूदा ढांचे में संशोधन करने और छोटे-मोटे कार्यों को करने के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

10. कृषि और संग्रहण की अच्छी प्रथा क्या है?

उत्तर: कृषि एवं संग्रहण पद्धतियाँ (जीएसीपी) औषधीय पौधों और अन्य वानस्पतिक कच्चे माल की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए मानकीकृत दिशानिर्देश हैं। ये पद्धतियाँ उत्पादकों, संग्राहकों, व्यापारियों और हर्बल उद्योग को संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान खेत में खेती और प्रोसेसिंग से लेकर वन्य संग्रह तक की उत्पादन श्रंखला को एकसमान मानक बनाए रखने में सहायता करती हैं।

11. मैं किसी औषधीय पौधे की पहचान और प्रमाणीकरण कैसे करूँ?

उत्तर: किसी औषधीय पौधे की सही पहचान और प्रमाणीकरण प्रमुख रूपात्मक विशेषताओं - पत्तियों, तने, फूलों, फलों, गंध और समग्र वजन - का अवलोकन करके और उनकी तुलना औषधीय रोपण सामग्री से करके किया जा सकता है। स्रोत का बुनियादी रिकॉर्ड रखना उचित पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करता है। फार्माकोपिया विवरण, प्रमाणित नर्सरियों का उपयोग और प्रामाणिक औषधीय पौधे सामग्री के लिए GACP आवश्यकताओं का अनुपालन भी आवश्यक है।

12. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: अन्य आवश्यक दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है।

- संगठन के निदेशक/प्रमुख से एक कवर/सहमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रस्तावित अध्ययन के संबंध में प्रधान अन्वेषक (पीआई) और सह-प्रधान अन्वेषकों (सह-पीआई) के प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता का संक्षिप्त सारांश, पीआई की उम्मीदवारी को प्रमाणित और उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- शोध डिजाइन के साथ-साथ फ़िल्ड लेआउट आदि को अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13. संरक्षण के अंतर्गत किन मुख्य गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है?

उत्तर: संरक्षण घटक के अंतर्गत, समर्थित मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए)।
2. यथास्थान संसाधन संवर्धन
3. जेएफएमसी/पंचायतों/वन पंचायतों/बीएमसी/एसएचजी आदि को सहायता प्रदान करना

14. संरक्षण परियोजना प्रस्तावों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीएएस) और जेएफएमसी/पंचायतों/वन पंचायतों/बीएमसीएस/एसएचजी आदि को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु राज्य वन/वन्यजीव विभाग/वन विकास निगम से प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। संसाधन संवर्धन के लिए प्रस्तावों पर राज्य वन/वन्यजीव विभाग/वन विकास निगम/स्थानीय/बाह्य क्षेत्र निगम/संघ/स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों से विचार किया जाता है।

15. क्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है?

उत्तर: जी हां, संरक्षण/संसाधन संवर्धन और जेएफएमसी/बीएमसीएस को सहायता प्रदान करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है।

16. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: संरक्षण/संसाधन संवर्धन एवं जेएफएमसी/बीएमसी को सहायता प्रदान करने के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भू-निर्देशांक/केएमएल फाइलों सहित स्थल-वार विवरण आवश्यक हैं।

आईईसी

17. योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समर्थित मुख्य आईईसी गतिविधियाँ क्या हैं?

उत्तर:

- प्रदर्शनियों/मेलों में नियमित भागीदारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- औशधि वनपति मित्र प्रोग्राम(AVM)
- कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/आरोग्य मेले आदि का आयोजन करना।
- सुविधा केंद्रों की स्थापना
- औषधीय पौधों की प्रजातियों से संबंधित विशिष्ट अभियान
- मल्टीमीडिया और अन्य उपयुक्त संचार साधनों का व्यवस्थित उपयोग
- पत्रिकाओं मैगजीन और न्यूजलेटरों का प्रकाशन
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी पहल।

18. आईईसी गतिविधियों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: मेलों, प्रदर्शनियों/प्रचार सामग्री/आरोग्य मेले में भागीदारी

एनएमबीपी, एसएमबीपी, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थान/विश्वविद्यालय, सरकारी संगठन जिनमें सरकारी संबद्ध संस्थान शामिल हैं, गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन आदि।

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/सम्मेलनों के आयोजन के लिए संस्था।

केंद्र और राज्य सरकार के संगठन।

- सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों सहित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक/अनुसंधान/शिक्षा संस्थान।
- पंजीकृत पेशेवर और अन्य परोपकारी संगठन जो गैर-लाभकारी आधार पर काम कर रहे हैं।
- औषधीय पौधों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और अनुभव रखने वाले पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) / स्वैच्छिक संगठन / ट्रस्ट।

19. क्या कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: औषधीय पौधों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) / स्वैच्छिक संगठनों / ट्रस्टों द्वारा कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों के आयोजन के लिए आवश्यक शर्तें।

- दर्पण आईडी में एनजीओ का पंजीकरण
- 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट
- निगमन/पंजीकरण/समझौता पत्र (जैसा लागू हो)

20. क्या गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवक संगठनों/ट्रस्टों के लिए एनजीओ दर्पण आईडी अनिवार्य है?

उत्तर: जी हाँ

21. क्या अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पैन नंबर अनिवार्य है?

उत्तर: जी हाँ

संस्थागत सुदृढीकरण

22. एसएमबीपी और आरसीएफसी के आधिकारिक संपर्क विवरण हमें कहाँ मिल सकते हैं?

उत्तर: राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय की वेबसाइट के एनएमपीबी आउटरीच टैब में विस्तृत संपर्क पता, फोन नंबर और ईमेल आदि उपलब्ध हैं।

23. एसएमबीपी और आरसीएफसी की भूमिका क्या है?

उत्तर: राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमबीपी) राज्य स्तर पर एनएमबीपी के अंतर्गत समर्थित विभिन्न गतिविधियों के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) क्षेत्रीय स्तर पर एनएमबीपी के अंतर्गत समर्थित विभिन्न गतिविधियों के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी है।

24. क्या एनएमबीपी औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है?

उत्तर: जी हाँ, एनएमबीपी अपने क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) / अच्छी क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करता है।

25. क्या एनएमबीपी किसानों को औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है?

उत्तर: जी हाँ, एनएमपीएफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अपने क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र के माध्यम से औषधीय पौधों के किसानों/उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें संबंधित राज्य में औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

26. पीएल को गतिविधि रिपोर्ट में कौन-कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए?

उत्तर: पीआई को गतिविधि रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी होगी:

- जीपीएस लोकेशन, गतिविधि की रंगीन तस्वीरें
- स्थान/आयोजन का नाम और विवरण
- तारीख
- नाम आधारित मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

27. क्या कार्यान्वयन एजेंसी को सभी प्रकाशनों में एनएमबीपी को स्वीकार करना आवश्यक है?

उत्तर: जी हाँ, सभी मुद्रित/डिजिटल सूचना एवं संचार एवं विकास संबंधी सामग्री, प्रकाशन, पुस्तकें आदि में "राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय" का उल्लेख करना अनिवार्य है, जहां से अनुदान जारी किया गया है।

एमपीबीसी

28. एमपीबीसी दिशानिर्देश क्या है?

उत्तर: औषधीय पादप व्यापार केंद्र (एमपीबीसी) दिशानिर्देश आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा औषधीय पादप व्यापार केंद्रों (केंद्रीय और परिधीय) की स्थापना के लिए जारी किया गया आधिकारिक परिचालन ढांचा है। ये दिशानिर्देश औषधीय पादपों के लिए कटाई के बाद, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन अवसंरचना के निर्माण हेतु उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों, वित्तीय सहायता, परियोजना घटकों, कार्यान्वयन अनुसूची, प्रलेखन, अनुदान जारी करने, निगरानी और अनुपालन आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं।

29. आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: पात्र संगठनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- केंद्र और राज्य सरकार के निकाय, एसएमपीबी, पीएसयू, अनुसंधान एवं विकास संस्थान
- सहकारी समितियाँ, परिवार कल्याण संगठन, परिवार कल्याण संगठन, गैर सरकारी संगठन
- स्वामित्व वाली फर्में, साझेदारी फर्में, कंपनियां
- औषधीय पौधों के क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी, उद्यम और समूह

30. एक प्रस्ताव के अंतर्गत कितने एमपीबीसी बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: प्रत्येक स्वीकृत परियोजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

1 सेंट्रल एमपीबीसी, और 4 पेरिफेरल एमपीबीसीएस

इस प्रकार, अधिकतम अनुदान (25.0 करोड़ रुपये) के अनुरूप, एक ही प्रस्ताव के तहत कुल 5 एमपीबीसी इकाइयां बनाई जा सकती हैं।

31. क्या आवेदक संगठन के लिए कोई न्यूनतम टर्नओवर आवश्यकता निर्धारित है?

उत्तर: दिशानिर्देशों में आवेदकों के लिए न्यूनतम हस्तांतरण की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं है। पात्रता संगठन के प्रकार, भूमि की उपलब्धता, इक्विटी निवेश और बैंक मूल्यांकन पर आधारित है।

32. क्या कृषि भूमि स्वीकार्य है, या केवल गैर-कृषि भूमि को ही प्राथमिकता दी जाती है?

उत्तर: कृषि भूमि स्वीकार्य है, बशर्ते कि आवेदक सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त कर ले। दिशानिर्देश :

- स्वामित्व/30 साल का पट्टा,
- उचित सीएलयू (जहां भी लागू हो)। गैर-कृषि भूमि अनिवार्य नहीं है।

33. क्या MSME/UDYAM के तहत पंजीकृत स्वामित्व वाली फर्में भी पात्र हैं, या यह योजना केवल साझेदारी फर्मों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर ही लागू होती है?

उत्तर: जी हां, MSME/UDYAM के तहत पंजीकृत स्वामित्व वाली फर्में पात्र हैं।

दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से शामिल हैं:

- स्वामित्व वाली फर्में
- सहकारी समितियाँ,
- कंपनियाँ,
- एफपीओएस/एफपीसी,
- गैर सरकारी संगठन, व्यापारी, उद्यम आदि।
- इसलिए, यह योजना केवल साझेदारी या निजी लिमिटेड कंपनियों तक ही सीमित नहीं है।

34. कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर: मुख्य दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- डीपीआर (परिशिष्ट-II के अनुसार)
- भूमि स्वामित्व/30-वर्षीय ऋण विलेख
- सीएलयू अनुमति
- बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और सावधि ऋण स्वीकृति
- वित्तीय विवरण, पैन, पंजीकरण
- सीए प्रमाणपत्र, सीई प्रमाणपत्र, वचनबद्धता
- प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी
- जनादेश प्रपत्र और बैंक खाता विवरण
- केएमएल फाइलें

विपणन एवं आईटी

35. मार्केटिंग और आईटी में समर्थित मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं?

उत्तर:

- एमएपीएस की खरीद के लिए आईटी समर्पित तंत्रों के माध्यम से प्रचार और सूचना प्रसार।
- MAPS के लिए नेटवर्कयुक्त कृषि मंडियां
- कृषकों का डेटाबेस
- अनुबंध निष्कर्षण (पीएचएम)
- विशेष भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला विकास
- एआई पोर्टल्स का तकनीकी-वाणिज्यिक सूचना के साथ एकीकरण
- ऑनलाइन एमएपी ट्रेड एक्सचेंज बनाना
- कृषक कॉल सेंटर, केवीके आदि के साथ एकीकरण।

36. मार्केटिंग और आईटी परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर: सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, निजी संगठन

37. मार्केटिंग और आईटी के माध्यम से किस प्रकार की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है?

उत्तर:

- व्यापार अभ्यासों का दस्तावेजीकरण करना।
- उत्पादकों और खरीदारों दोनों के लाभ के लिए विभिन्न बाजारों में थोक कीमतों, आवक और रुक्मानों के बारे में जानकारी जुटाना।
- बाजार के आंकड़ों के त्वरित संग्रह और प्रसार के लिए संचार नेटवर्क स्थापित करना ताकि उनका कुशल और समय पर उपयोग किया जा सके।
- किसानों के लाभ के लिए और अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किसान परामर्श तैयार करना और उसे जारी करना।
- किसानों और किस्मों का डेटाबेस विकसित करना।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान कॉल सेंटर पहलों सहित कॉल सेंटरों के माध्यम से औषधीय पौधों का एकीकरण और मुख्यधारा में समावेशन।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने और खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, जंगली और खेती से प्राप्त उत्पादों के संबंध में उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू करना, ताकि खेती को बढ़ावा मिले।
- एचएस कोडों का सरलीकरण।

38. मैं औषधीय पौधों का वर्तमान बाजार मूल्य कैसे जान सकता हूँ?

उत्तर: औषधीय पौधों के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करने और आसान बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों के प्रचार और विपणन के लिए "ई-चारक" मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल

लॉन्च किया है। "ई-चारक" एक ऐसा मंच है जो देश भर में औषधीय पादप क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से किसानों के बीच सूचना आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। "ई-चारक" एप्लिकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत भर के 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पौधों के पाक्षिक बाजार मूल्य को ई-चारक प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

एकीकृत घटक

39. एकीकृत घटक क्या है?

उत्तर: एकीकृत घटक औषधीय उत्पादों के प्रबंधन की आपूर्ति शृंखला में एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा शामिल है, साथ ही सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन के लिए सहायता भी शामिल है।

40. एकीकृत परियोजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर: बुनियादी ढांचे, वास्तु लेआउट, गूगल मैप लोकेशन (जीपीएस), बुनियादी ढांचा गतिविधियों के संबंध में भूमि के गैर-डायर्वर्जन के लिए वचन पत्र, लाभार्थियों की सूची, उपकरणों की सूची के लिए केएमएल फाइल।

41. एकीकृत घटक के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: सरकारी संगठन 100% अनुदान सहायता के पात्र होंगे और निजी संगठन (औषधीय पौधों के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले) 50% अनुदान सहायता के पात्र होंगे।